उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-14

संख्या-518/एक-14-2020

लखनऊः दिनाँक 13 अगस्त, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करतीं हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिला देवरिया के चार ग्रामों, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या-306/1-14/97-49(2)/95-राजस्व-14 दिनांक 26 फरवरी, 1997 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखा गया था, में उपरोक्त सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएं, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	मूल गजट की क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	देवरिया	रूद्रपुर	सिलहट	4	लालपुर भैसहा
2	देवरिया	रूद्रपुर	सिलहट	20	हौली बलिया
3	देवरिया	रूद्रपुर	सिलहट	45	केवटलिया
4	देवरिया	रूद्रपुर	सिलहट	53	परसिया तिवारी

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-518/एक-14-2020, तददिनांक।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज को अधिसूचना संख्या 518/एक-14-2020, दिनांक 13 अगस्त, 2020 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट साधारण के आगामी अंक में प्रकाशित कराने तथा गजट में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ का उनके पत्र संख्या-1019/9-30ई/1995, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में।
3. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
4. जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, देवरिया।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 518 /1-14/2020, Dated 13 August, 2020.

NOTIFICATION

No. 518 /1-14/2020
Lucknow: Dated: 13 August , 2020.

In exercise of the powers under section 48 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No III of 1901) read with section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P Act No. 8 of 2012) the Governor is pleased to declare that Survey and Record operation in Four Villages of District Deoria mentioned in the schedule below which were placed under the above operation vide Government Notification No.306/1-14/97-49(2)/95-Rajaswa-14 dated February 26, 1997 are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

Schedule

S.No.	District	Tehsil	Pargana	S. No.of Orignal Gazette	Village
1-	Deoria	Rudrapur	Silhat	04	Lalpur bhanasha
2-	Deoria	Rudrapur	Silhat	20	Haali balliya
3-	Deoria	Rudrapur	Silhat	45	Kewtalia
4-	Deoria	Rudrapur	Silhat	53	Parasia Tiwari

By order,

(Renuka Kumar)
Upper Mukhya Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।